सीडीआर -।। / 801/07/2017

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग)

पटियाला हाउस एनेक्स,
तिलक मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 24 अप्रैल, 2017

सेवा में
सभी पासपोर्ट अधिकारी,

विषय : विदेश मंत्रालय के तहत केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड–1, ग्रुप "बी" अराजपत्रित पद और आशुलिपिक ग्रेड–।।, ग्रुप "सी" पदों के भर्ती नियम-2017 का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु भर्ती नियमों को तैयार/ संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव 30 दिनों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तुत करने संबंधी डीओपीटी के फाइल सं. एबी -14017 / 61/2008-स्थापना(आरआर) दिनांक 13.10.2015 के तहत जारी कार्यालय ज्ञापन पर ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है। अतः, उपरोक्त वर्णित भर्ती नियम(आरआर) इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहें हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित जो केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय के तहत कार्यरत हों या उपरोक्त मसौदा नियमों से किसी भी रूप में जुड़े हुए हों, से अनुरोध है कि वे आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस मामले में अपनी टिप्पणी/राय/सुझाव socpvcadremea .gov. in.पर ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(मोहम्मद नसीम)
उप पासपोर्ट अधिकारी (पीवीए एवं कैडर)
01't-23381051

संलग्नक- यथोपरि

प्रतिलिपि:

I. पीओ (एक्सएलएम), विदेश मंत्रालय, शास्त्री भवन, मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि भर्ती नियम मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

II. प्रधान सलाहकार और प्रमुख तकनीकी, पीएमयू को इस अनुरोध के साथ कि वे भर्ती नियम मसौदा पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करें।

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग)

मसौदा इधिसूचना

नई दिल्ली, अप्रैल 2017

जी.एस.आर - संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (ग्रुप सी पद) भर्ती नियम, 2003 के अधिक्रमण में जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों या हटा दिए गए कार्यो को छोड़कर जहां तक इसका संबंध आशुलिपियों के पद से हैं, राष्ट्रपति एतद द्वारा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय(सीपीवी प्रभाग) में आशुलिरिक ग्रेड-।, आशुलिरिक ग्रेड-।। और आशुलिरिक ग्रेड-।।। पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करते हैं:-

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन - (1) ये नियम विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के (आशुलिपिक ग्रेड–1, ग्रुप “बी” अराजपत्रित पद) और आशुलिपिक ग्रेड–।।, ग्रुप “सी” पद) भर्ती नियम-2017 कहे जाएंगे।
   2 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये लागू होंगे।
2. विनियोग - ये नियम संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स में "स्तर" - संलग्नित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में "स्तर” कथित अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार होगा।
4. भर्ती प्रणाली, आयु सीमा और अन्य योग्यता, आदि - उपर्युक्त पद संबंधी भर्ती विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार होंगे।
5. सेवा के नियम और शर्ते - आशुलिपिक ग्रेड–1 और आशुलिपिक ग्रेड–1। को भारत भर में किसी भी स्थान पर अपनी सेवा प्रदान करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम होना चाहिए जहां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उन्हें तैनात किया जाए।
6. अयोग्यता - ऐसा कोई व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगा जो-

(क) किसी ऐसे शादीशुदा इन्सान से विवाह या विवाह का अनुबंध करता है/करती है जिसके पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते किसी भी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध करता है/करती है।

बशर्ते केन्द्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि यह विवाह उस व्यक्ति और दूसरे पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, ऐसे व्यक्ति को इस नियम के परिचालन से छूट दी जाएगी।

7. छूट देने का अधिकार- जबकि केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कारणों का रिकार्ड लिखित में रखकर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश जारी कर किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति को इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

8. संचयन - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आवश्यक आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायत आदि इन नियमों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"	चयनित पद है या गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नतिके मामले में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
आशुलिपिक ग्रेड-I	17* (2015) कार्य-अधिकता के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' गैर-अनुसचिवीय	स्तर-6	चयनित	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती के जरिए होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी रचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13
पदोन्नति पर दो साल	पदोन्नति द्वारा न भरे जाने पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरें	पदोन्नति ग्रेड II में 10 साल की नियमित सेवा के साथ वेतन	ग्रुप 'बी' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संयुक्त सचिव	भर्ती नियमों के किसी भी छूट या संशोधन के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक है।

		मैट्रिक्स में स्तर -4 के आशुलिपिक- ग्रेड-।। नोट: अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की पदोन्नति पर जहां विचार किया जा रहा हो. उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाए बशर्ते उनकी योग्यता या पात्रता सेवा अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से आधे से या 2 वर्षों से अधिक कम न हो, जो भी कम हो और योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ वे अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुकें हों। प्रतिनियुक्ति: क. केन्द्रीय सरकार के तहत आशुलिपिक के पद पर पदस्थ अधिकारी	(पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट प्रभारी अधिकारी - अध्यक्ष 2. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के निदेशक/ प्रभारी उप सचिव - सदस्य 3. दो अवर सचिव/ उप पासपोर्ट अधिकारी- सदस्य 4. सहायक पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य			

		I. मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर पदस्थता, या II. वेतन मैट्रिक्स स्तर -4 में या उसके समकक्ष वेतनमान में 10 साल की नियमित सेवा नोट 1: फीडर संवर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में आते हैं प्रतिनियुक्ति के लिए उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति के उम्मीदवारों को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट 2: उसी संगठन या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्वगामी अन्य कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित परिवीक्षा की अवधि तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति हेतु			

		अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।				

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"	चयनित पद है या गैर-चयनित पद	क्या सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ स्वीकृत है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक ग्रेड-II	13* (2010) कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-4	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	18 से 27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु-सीमा तक की छूट) नोट : आयु सीमा तय करने की निर्णायक तिथि वही होगी जैसा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन में जारी किया जाएगा।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति उम्मीदवारों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती के जरिए होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

8	9	10	11
I. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण; II. कौशल परीक्षण मानदंड: डिक्टेशन: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 65 मिनट(अंग्रेजी) 75 मिनट (हिन्दी)(मैनुअल टाइपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) कम्प्यूटर पर	अप्रयोज्य	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती नोट: पदस्थ कर्मचारी के स्थानांतरण,प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन की छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक दूर रहने के कारण उत्पन्न रिक्त पद केंद्रीय सरकार में समकक्ष पदों पर पदस्थ या नियमित कर्मचारी, जो कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हों, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकते हैं।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी रचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13	14
अप्रयोज्य	स्थायीकरण के लिए ग्रुप 'सी' विभागीय पदोन्नति समिति 1. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के निदेशक/ प्रभारी उप सचिव - अध्यक्ष 2. दो अवर सचिव/ उप पासपोर्ट अधिकारी- सदस्य 3. एक सहायक पासपोर्ट अधिकारी- सदस्य	अप्रयोज्य

सं. सीडीआर ।।/1801/107/2017

(अरुण कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं
मुख्य पासपोर्ट अधिकारी